

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

क्रमांक-एफ.10(14)आयु./2022

जयपुर, दिनांक :-

13 JAN 2023

—: आदेश :-

प्रशासनिक कारणों से लोकहित में निम्नांकित वरिष्ठ यूनानी चिकित्साधिकारी ग्रेड-II/यूनानी चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1	डॉ. सैयद जाकिर हसन	SMO-2	राज. यूनानी औष. घाटगेट जयपुर से उप जिला चिकि. बांदीकुई दौसा स्थानान्तरणाधीन	राज. यूनानी औष. जीहरी बाजार जयपुर में डॉ. सबीहा रहमान के स्थान पर
2	डॉ. सबीहा रहमान	SMO-2	राज. यूनानी औष. जीहरी बाजार जयपुर	उप जिला चिकि. बांदीकुई दौसा में डॉ. सैयद जाकिर हसन स्थानान्तरणाधीन के स्थान पर
3	डॉ. मोहम्मद शमीम खान	SMO-2	राज. यूनानी औष. मजिदा गली कोटा उत्तर से राज. यूनानी औष. टोंक स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर राज. यूनानी औष. मजिदा गली कोटा उत्तर में यथावत
4	डॉ. सय्यद शमसुल हसन तारिक	SMO-2	राज. यूनानी औष. मजाजपुर, भरतपुर से यूनानी मेडिकल कॉलेज टोंक में प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति निरस्त कर राज. यूनानी औष. मजाजपुर, भरतपुर में यथावत
5	डॉ. अनवारूल हक	MO	राज. यूनानी औष. फतेहपुर, उदयपुर	राजकीय यूनानी औष. मौलासर, नागौर में रिक्त पद पर
6	डॉ. मोहम्मद शकील	MO	राज. यूनानी औष. गलियों कोट, डूंगरपुर	राज. यूनानी औष. झारिया जिला चूरु में रिक्त पद पर
7	डॉ. विजय कुमार पचार	MO	राज. यूनानी औष. वाप जोधपुर	राज. यूनानी औष. तारानगर, चूरु में रिक्त पद पर

नोट:-

- उक्त में से प्रभावित अधिकारियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
- उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- उक्त आदेशों के कम में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति विधिक परामर्श उपरान्त सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,



(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव



प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय आयुष मंत्री महोदय।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, आयुष विभाग।
- 3 निदेशक, यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर को निर्देशानुसार प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश पर किसी कार्मिक द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन या अन्य आदेश प्राप्त किये जाते हैं जो प्रथमतः राज्य पक्ष को त्वरितता से रख किसी भी स्थगन/अन्य आदेश को राज्य पक्ष में निस्तारित कराया जावे, यदि फिर भी कोई स्थगन या अन्य आदेश पारित होता है तो निदेशालय/शासन स्तर से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जावे, ताकि दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न ना हो। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि उक्त में से किसी अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय/अधिकरण से स्थगन प्राप्त किया जाता है तो निदेशालय/शासन की बिना पूर्व अनुमति के कार्य ग्रहण करवाये जाने पर संबंधित नियंत्रण अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।
- 4 संबंधित चिकित्साधिकारी मार्फत निदेशक यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर।
- 5 रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26, प्रतापनगर जयपुर-302033 फोन नं. 0141-2796625 ईमेल—directorunani@rajasthan.gov.in
क्रमांक/प्रति-1/यूनानी चिकि./स्थानान्तरण/2022-23/271 दिनांक: 13.01.2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. चिकित्सा प्रभारी, राजकीय यूनानी चिकित्सालय/औषधालय/सीएचसी/पीएचसी/जिला चिकित्सालयको देकर लेख है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश पर माननीय न्यायालय से स्थगन या अन्य आदेश प्राप्त किये जाते हैं तो निदेशालय/शासन स्तर से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण किया/करवाया जावे।
3. नोडल अधिकारी, निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर को दी जाकर लेख है कि संबंधित को जरिय ई-मेल व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. संबंधित अधिकारी
5. समस्त शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक